

## डिस्कलेमर

आदेश संख्या 35/2023-24 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रान्ति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



सत्यमेव जयते

**भारतीय विमानपत्त आर्थिक विनियामक प्राधिकरण**

**भुवनेश्वर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (बीबीआई) के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2023 से 31.03.2028) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में**

**जारी करने की तारीख : 22 फरवरी, 2024**

ऐरा भवन  
प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स  
सफदरजंग हवाईअड्डा  
नई दिल्ली – 110003

## 15 प्राधिकरण के निर्णयों का सार

### अध्याय 4 : प्रथम नियंत्रण अवधि का टू-अप

- 4.11.1 तालिका 10 में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।
- 4.11.2 तालिका 11 में उल्लेख किए अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए वैमानिक मूल्यहास को मानना।
- 4.11.3 तालिका 12 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए आरएबी को मानना।
- 4.11.4 तालिका 13 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के प्रयोजन से एफआरओआर को मानना।
- 4.11.5 तालिका 16 में की गई प्रस्तुति के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के प्रयोजन से गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।
- 4.11.6 तालिका 21 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के प्रयोजन से प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।
- 4.11.7 बीआईए के लिए तालिका 24 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए आरएबी को मानना।
- 4.11.8 बीआईए के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 26 के अनुसार वास्तविक वैमानिक राजस्व को मानना।
- 4.11.9 बीआईए के लिए तालिका 28 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए एआरआर और कम वसूली को मानना और इस कमी को द्वितीय नियंत्रण अवधि में पुनः समायोजित करना।

### अध्याय 5: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

- 5.6.1 भुवनेश्वर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 33 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एटीएम और यात्री यातायात को मानना।
- 5.6.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम और यात्री) को टू-अप करना।

### अध्याय 6: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यहास और विनियामक परिसंपत्ति आधार

- 6.9.1 तालिका 35 में दिए गए विवरण के अनुसार 01 अप्रैल, 2023 की परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक के वैमानिक और गैर वैमानिक परिसंपत्तियों के बीच आबंटन को मानना।
- 6.9.2 तालिका 45 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करना।
- 6.9.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर लागत कार्यक्षमता और औचित्य की शर्त पर पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।
- 6.9.4 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूँजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूँजीकृत परियोजना की लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। इसके अतिरिक्त यदि परियोजना पूर्ण होने में विलंब आएआई या इसकी संविदाकारी एजेंसी के नियंत्रण से बाहर के किसी कारण की वजह से होता है और इसे ठीक ढंग से औचित्यपूर्ण बताया जाता है तो तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक लागत को टू-अप करने के दौरान प्राधिकरण द्वारा इसे मान लिया जाएगा।
- 6.9.5 तालिका 46 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यहास को मानना।
- 6.9.6 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के मूल्यहास को टू-अप करना।
- 6.9.7 बीआईए के लिए तालिका 47 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।
- 6.9.8 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

## **अध्याय 7 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर**

- 7.6.1 14% पर ईक्विटी की लागत को मानना।
- 7.6.2 6.57 % रूप में ऋण की लागत को मानना।
- 7.6.3 बीआईए के लिए तालिका 54 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए 13.78% के एफआरओआर को मानना।
- 7.6.4 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक औसतन भारित लक्ष्य संबंधी अनुपात के आधार पर एफआरओआर को टू-अप करना।

## **अध्याय 8 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति**

- 8.5.1 बीआईए के लिए तालिका 56 में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति को मानना।

## **अध्याय 9: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च**

- 9.6.1 बीआईए के लिए तालिका 64 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।
- 9.6.2 बीआईए के लिए अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य एवं कार्यक्षमता की शर्त पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के दौरान एआई द्वारा वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

## **अध्याय 10: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व**

- 10.6.1 बीआईए के लिए तालिका 69 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।
- 10.6.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय बीआईए के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

## **अध्याय 11 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान**

- 11.5.1 बीआईए के लिए तालिका 72 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।
- 11.5.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर वैमानिक कर राशि को उपयुक्त ढंग से टू-अप करना।

## **अध्याय 12: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता**

- 12.6.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए सेवा की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी समायोजन को न मानना।

## **अध्याय 13 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)**

- 13.6.1 बीआईए के लिए तालिका 76 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और मुनाफे को मानना।

## **अध्याय 14 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व**

- 14.6.1 बीआईए के लिए तालिका 81 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।
- 14.6.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि की वास्तविक संख्या के आधार पर वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

## 16 आदेश

- 16.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतद्वारा आदेश के संलग्नक-I के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए भुवनेश्वर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर वसूली जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।
- 16.2 वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद्वारा द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए आदेश के संलग्नक 1 के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।
- 16.3 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं और इनमें कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।
- 16.4 यह आदेश 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी किया जाएगा।
- 16.5 हवाईअड्डा प्रचालक प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी प्राधिकरण को ठीक समय पर प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)  
सचिव, ऐरा

सेवामें,

अध्यक्ष,  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,  
राजीव गांधी भवन,  
सफदरजंग हवाईअड्डा,  
नई दिल्ली-110003

प्रतिलिपि,

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003
2. नागर विमानन महानिदेशालय :एआईसी जारी करने के लिए

